# न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : हरिश मेनारिया, आर.जे.एस.
(अतिरिक्त कार्यभार)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 429/2024

सीएनआर संख्या : RJDG090007882024

राजस्थान राज्य —— अभियोगी

**बनाम**

1. संजय उर्फ कमलेश पिता गटूलाल, निवासी लाडसौर पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर **(मफरूर)**
2. अशोक पिता कान्तिलाल, निवासी रामा बावड़ी ग्राम पंचायत झलपका पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर (राज.) —— अभियुक्तगण

**अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता**

**उपस्थित :**

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री धवल पटेल, अभियुक्त अशोक की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 06.03.2025

1. इस प्रकरण का उद्भव सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना चौरासी की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में "भा.द.सं.") में अभियोग–पत्र दिनांक 25.07.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी यशवंत कुमार ने थानाधिकारी, पुलिस थाना चौरासी को लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 इस आशय की पेश की, कि दिनांक 12.05.2024 की रात्रि में उसकी मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसपी 5073 को उसकी दुकान के आगे कॉम्प्लेक्स में खड़ी करके वह अपने घर चला गया, जो कि वह हमेशा वही रखता है। अगली सुबह घर से जब दुकान खोलने गया, तो देखा कि उसकी मोटरसाईकिल वहां नहीं मिली। उसने आस–पास तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। उसकी मोटरसाईकिल को रात्रि के समय कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया है, .....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना चौरासी पर अभियोग संख्या 94/2024 अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा. द.सं. प्रमाणित होने से आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर

06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला–डूँगरपुर

नियमित दाण्डिक किया गया।

4. दिनांक 20.08.2024 को अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यु. 1 राजेश, पी.डब्ल्यु. 2 यशवंत, पी.डब्ल्यु. 3 देवीलाल, पी.डब्ल्यु. 4 गिरीराजसिंह, पी.डब्ल्यु. 5 निर्मल कुमार, पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती निशा, पी.डब्ल्यु. 7 लोकेश कुमार, पी. डब्ल्यु. 8 कमलेश, पी.डब्ल्यु. 9 मुकेश, पी.डब्ल्यु. 10 सुनिल कुमार, पी.डब्ल्यु. 11 ईश्वरलाल, पी.डब्ल्यु. 12 छत्तरसिंह एवं पी.डब्ल्यु. 13 राजेन्द्र को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 नक्षा मौका, प्रदर्श पी–2 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी–3 चॉक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी–4 मालखाना रजिस्टर की प्रति, प्रदर्श पी–5 फर्द गिरफ्तारी संजय उर्फ कमलेश, प्रदर्श पी–6 फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा संजय, प्रदर्श पी–7 फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल, प्रदर्श पी–8 फर्द नक्शा बरामदगीस्थल, प्रदर्श पी–9 फर्द गिरफ्तारी अशोक, प्रदर्श पी–10 फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा अशोक, प्रदर्श पी–11 सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा संजय उर्फ कमलेश एवं प्रदर्श पी–12 सूचना धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अशोक को प्रदर्शित करवाया गया।

6. बयान मुल्जिम के प्रक्रम पर अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश के अनुपस्थित हो जाने पर उसे दिनांक 06.02.2025 को मफरूर घोषित किया गया तथा शेष अभियुक्त अशोक की सीमा तक अग्रेतर विचारण किया गया।

7. अभियुक्त अशोक के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उसने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उसे झूंठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

8. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्त अशोक ने दिनांक 12.05.2024 को रात्रि में किसी समय मौजा गैंजी में सहअभियुक्त के साथ उनके सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी की दुकान के आगे कॉम्पलेक्स में रखी उसकी मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसपी 5073 को परिवादी की सम्मति के बिना हटाकर चोरी की? यदि हाँ, तो उचित दण्ड क्या होगा?''*

9. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से

06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला–डूँगर

कुल 13 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 2 यशवन्त, वाकियाती साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 राजेश कुमार, पी.डब्ल्यु. 3 देवीलाल, पी. डब्ल्यु. 4 गिरीराजसिंह, पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती निशा व पी.डब्ल्यु. 13 राजु उर्फ राजेन्द्र, फर्द तस्दीक घटनास्थल एवं फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल के साक्षीगण के पी.डब्ल्यु. 7 लोकेश कुमार व पी.डब्ल्यु. 8 कमलेश, फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा अशोक के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 9 मुकेश कुमार व पी.डब्ल्यु. 11 ईश्वरलाल, फर्द गिरफ्तारी अशोक का साक्षी पी.डब्ल्यु. 10 सुनिल कुमार, मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यु. 5 निर्मल कुमार एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 12 छत्तरसिंह है।

10. प्रकरण में परीक्षित कराये गये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना से पूर्व यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश मफरूर है। अतः इस निर्णय में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना अभियुक्त अशोक की सीमा तक ही की जानी है।

11. जहां तक प्रार्थी की मोटरसाईकिल चोरी होने का प्रश्न है, तो प्रार्थी पी. डब्ल्यु. 2 यशवन्त कुमार ने उसकी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों की सम्पुष्टि करते हुए दिनांक 12.05.2024 को रात्रि में उसकी मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसपी 5073 कॉम्प्लेक्स के आगे से अज्ञात व्यक्ति द्वारा होना तथा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दिया जाना बताया है। इसी चोरी की घटना की सम्पुष्टि वाकियाती साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 राजेश कुमार, पी.डब्ल्यु. 3 देवीलाल व पी.डब्ल्यु. 4 गिरीराजसिंह ने भी उनकी सशपथ साक्ष्य में की है। इन साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा में प्रार्थी की मोटरसाईकिल चोरी होने के तथ्य को किसी प्रश्न द्वारा चुनौती नहीं दी गयी है। अतः उक्त साक्षीगण की अखण्डित साक्ष्य से प्रार्थी यशवन्त कुमार की मोटरसाईकिल नं. आरजे 12 एसपी 5073 दिनांक 12.05.2024 को रात्रि में चोरी होने की सम्पुष्टि होती है।

12. अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि क्या अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त अशोक का उक्त चोरी की घटना से कोई सम्बन्ध स्थापित होता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में चोरी की घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। ऐसी स्थिति में चोरीशुदा मोटरसाईकिल की अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो अभियुक्त का चोरी की घटना से सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा लाये गये तथ्यों के अनुसार इस प्रकरण में चोरीशुदा मोटरसाईकिल की बरामदगी अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश, जो इस प्रकरण में मफरूर है, के कब्जे से किया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–7 तथा बरामदगी के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 7 लोकेश कुमार व पी.डब्ल्यु. 8 कमलेश की साक्ष्य का अभियुक्त अशोक की सीमा तक विवेचना किये जाने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है।

06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला–डूँगरपुर

13. प्रकरण में मोटरसाईकिल की बरामदगी अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश के कब्जे से होना बताये जाने के उपरान्त अभियुक्त अशोक का घटना से सम्बन्ध स्थापित करने हेतु एकमात्र तथ्य अभियुक्त अशोक द्वारा घटनास्थल तस्दीक किये जाने का रह जाता है। इस तथ्य के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करे, तो अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 12 छत्तरसिंह ने उसकी सशपथ साक्ष्य में अभियुक्त अशोक द्वारा प्रदत्त धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी–12 के अनुसरण में अभियुक्त द्वारा घटनास्थल तस्दीक किया जाना एवं इसकी फर्द प्रदर्श पी–10 बनाया जाना बताया है। इस फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–10 के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 9 मुकेश कुमार व पी.डब्ल्यु. 11 ईश्वरलाल को परीक्षित करवाया गया है, जो दोनों ही पुलिस कार्मिक है। इन दोनों साक्षीगण ने उनकी सशपथ साक्ष्य में अभियुक्त अशोक द्वारा घटनास्थल तस्दीक करने, इसकी फर्द प्रदर्श पी–10 बनाये जाने एवं इस फर्द पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि यह फर्द सुबह 9.45 बजे बनायी गयी है तथा एक कॉम्प्लेक्स के पास का घटनास्थल है, जहां स्वतंत्र व्यक्तियों की सहज ही उपलब्धता है, फिर भी अनुसंधान अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को इस तस्दीक घटनास्थल की कार्यवाही में मौतबीर नहीं बनाया है और न ही ऐसा नहीं किये जाने का कोई कारण दर्शाया है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–10, जिसे अभियुक्त अशोक की निशादेही से बनाया जाना बताया है, पर स्वयं अभियुक्त अशोक के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। यह तथ्य स्वयमेव ही उक्त फर्द तस्दीक घटनास्थल को संदिग्ध बना देता है। ऐसी स्थिति में फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–10 को साबित नहीं माना जा सकता है।

14. उक्त तस्दीक घटनास्थल के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं लाया है, जो अभियुक्त अशोक का इस प्रकरण में बतायी गयी चोरी की घटना से किसी भी भांति से सम्बन्ध स्थापित कर सकता हो। जहां तक प्रकरण में परीक्षित करवाये गये अन्य साक्षीगण का प्रश्न है, तो वाकियाती साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 6 श्रीमती निशा व पी.डब्ल्यु. 13 राजु उर्फ राजेन्द्र को इस प्रकरण में अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश द्वारा जीवा का भी चोरी में सम्मिलित होना बताने पर, जीवा का चोरी की घटना में सम्मिलित नहीं होने की सम्पुष्टि हेतु परीक्षित करवाये गये है, जिनकी साक्ष्य का अवधार्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनके अलावा साक्षी पी. डब्ल्यु. 10 सुनिल कुमार मात्र अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी का साक्षी है तथा मालखाना इंचार्ज पी.डब्ल्यु. 5 निर्मल कुमार मोटरसाईकिल को मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर मालखाना में रखे जाने की सम्पुष्टि हेतु परीक्षित करवाया गया है, जिसकी साक्ष्य भी अभियुक्त अशोक की सीमा तक अभियोजन पक्ष को कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला–डूँगरपुर

15. इस प्रकार इस प्रकरण में चोरीशुदा मोटरसाईकिल की बरामदगी अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश के कब्जे से किया जाना बताया है तथा अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश मफरूर है। अभियुक्त अशोक से मात्र घटनास्थल तस्दीक करवाया गया है, परन्तु फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–10 पर अभियुक्त अशोक के हस्ताक्षर ही नहीं होने से यह फर्द साबित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अशोक का चोरी की घटना से सम्बन्ध स्थापित किये जाने हेतु कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

16. अतः पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की उक्तानुसार विवेचना से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त अशोक को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

17. परिणामस्वरूप अभियुक्त अशोक पिता कान्तिलाल, निवासी रामा बावड़ी ग्राम पंचायत झलपका पुलिस थाना खैरवाडा जिला उदयपुर (राज.) को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्त संजय उर्फ कमलेश पिता गटूलाल, निवासी लाडसौर पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर इस प्रकरण में मफरूर है। अतः पत्रावली के सरवरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त मफरूर होने से पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।

(हरिश मेनारिया) 06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

19. निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिश मेनारिया) 06/3/25
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)